

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-18/बि०मा०आ०-15/2017.....2011.....(18) पटना, दिनांक- 02 / 11 / 2018


राज्य के "विभिन्न अस्पतालों" तथा "मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पतालों" में ऐसे मरीज जिनका कोई अभिभावक/ परिजन साथ में नहीं है, के बेहतर देखभाल के लिए लावारिस वार्ड का गठन पूर्व से है। जिसका मुख्य उद्देश्य लावारिस मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।

2. उक्त के आलोक में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लावारिस वार्ड का नामकरण "विशेष संरक्षण कक्ष" (Special Care Ward) किया जाता है।

3. उक्त नाम परिवर्तन से कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

4. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

5. उक्त आदेश पर प्रधान सचिव का सहमति प्राप्त है।

  
(डॉ० राजीव कुमार)

सरकार के अपर सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक :-.....2011.....(18) / स्वा०, पटना, दिनांक:-02 / 11 / 2018

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सभी सिविल सर्जन, बिहार/ सभी अधीक्षक, मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पतालों, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।